इसे वेबसाइट **www.govtpress.mp.gov..in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 जनवरी 2026—माघ 3, शक 1947

भाग २

स्थानीय निकाय की सूचनाएं

कार्यालय, नगरपालिक निगम, रतलाम, मध्यप्रदेश

रतलाम, दिनांक 16 जुलाई 2024

क्रमांक 01/ई—1719628/2023/18—1, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 101 द्वारा प्रदत शक्तियों को प्रयोग मे लाते हुए, मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम 17 के उपबंधो के अधीन दिव्यांगजन के लिये पदो के चिन्हांकन हेतु मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक—एफ—7—19/ 2019/आ.प्र./एक भोपाल, दिनांक 31.05.2024 के परिपालन में एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 8—2/2013/आ.प्र./एक/भोपाल, दिनांक 29/04/2025 अनुसार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपेक्ष में परिपत्र दिनांक 22/02/2014 द्वारा दिव्यांगजनों के लिये आरक्षित पदों की पूर्ति विशेष अभियान के तहत वाक—इन—इन्टरव्यु के माध्यम से किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे। परिपत्र दिनांक 04/01/2024 द्वारा वाक—इन—इन्टरव्यु से पदपूर्ति की समय—सीमा दिनांक 31/12/2024 तक निर्धारित थी। जो समाप्त हो गयी है।

दिव्यांगजनों के रिक्त पदों की पूर्ति वॉक—इन—टॉक इन्टरव्यु के माध्यम से न की जाकर भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए बिना किसी देरी के शीघ्र भर्ती किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है।

प्रकरण में शासन आदेशानुसार दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पद माली प्रशिक्षित तृतीय श्रेणी चौकीदार व भृत्य चतुर्थ श्रेणी के पदों की पूर्ति सीधी भर्ती के माध्यम की नगर पालिक निगम, रतलाम द्वारा की जाना है। नगर पालिक निगम, रतलाम अनुसूची—01 में चिन्हित विशिष्टियों के अनुसार दिव्यांगजन के लिये आरक्षित पदों को चिन्हांकित करती है अर्थात :—

अनुसूची–एक

नगर पालिक निगम, रतलाम

श्रेणी	पद/ संवर्ग नाम	सीधी भर्ती के लिए स्वीकृत पद	योग	निःशक्त जनों के लिये निम्नांकित पदों की कुल संख्या का कुल योग (6प्रतिशत)	दृष्टि बाधित और कम दृष्टि (1.5 प्रति.)	बहरे और कम सुनने वाले (1.5 प्रति.)	लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमे सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी कुष्ठ रोग मुक्त,बौनापन,एसिड अटैक पीड़ित,मस्कुलर डिस्ट्राफी (1.5 प्रति.)	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता,स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी और बहुविकलांगता (1.5 प्रति.)	योग (6+7+8+9)	अभियुक्त
तृतीय	माली (प्रशिक्षित)	09	09	1	0	0	1	0	1	—
चतुर्थ	भृत्य	24	24	1	1	0	0	0	1	—
चतुर्थ	चौकीदार	10	10	1	0	1	0	0	1	—

अनिल भाना, आयुक्त.

Ratlam, the 16th July 2024

No. 01/E-1719658/2023/18-1, in exercise of the powers conferred by section 101 of the rights of person with Disabilitties act, 2016 [No 49 of 2016] under the provisions of rule 17 of the madhya pardesh rights of person with Disabilitty rules 2017, in compliance of instruction of general administrative department vide circular f-17-19/2019/Aa p/1-Bhopal date 31/05/2024 and Circular dated 22/02/2014 in the context of the directions given by the Hon'ble High Court as per the notification number F 8-2/ 2013/ A.P./Ek/Bhopal, dated 29/04/2025 of Madhya Pradesh Government General Administration Department Ministry Vallabh Bhawan Bhopal Instructions were issued by the Ministry of Persons with Disabilities (DMV) to fill the reserved posts for persons with disabilities through walk-in interviews as part of a special campaign. Circular dated 04/01/2024. The deadline for filling the post through walk-in-interview was fixed till 31/12/2024, which has expired.

Instructions have been received to fill the vacant posts for disabled persons without any delay and by following the recruitment process instead of filling them through walk-in-talk interview.

In this case, as per the government order, the posts reserved for the disabled persons, Mali Trained 3rd Class Chowkidar and Peon 4th Class are to be filled by the Municipal Corporation, Ratlam through direct recruitment. Municipal corporation Ratlam here by identifies the post reserved for the disable person as per the specification prescribed in schedule-1 in the establishment of municipal council Ratlam schedule-1 , namely :-

schedule --1

Municipal Corporation, Ratlam

category	Post/ Cadre Name	posts sanctioned for direct recruitment	Total	Total posts identitfied for the disabled (Accordin g to 6 per.)	visuallly impaired and low vision (1.5 per.)	Hearing impaird deal and hard of hearing (1.5 per.)	Locomotor Disability including cerebral palsy leprosy cured person Dwarfism add attack victim and muscular Dystrophy (1.5 per.)	Autism ietellectual Disability, specific learning Disability and mental illness adn multiple Disabilities (1.5 per.)	Total (6+7+8+ 9)	Remark
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Third	garden (trainde)	09	09	1	0	0	1	0	1	-
Forth	peon	24	24	1	1	0	0	0	1	-
Forth	watch man	10	10	1	0	1	0	0	1	-

ANIL BHANA, Commissioner.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

रायसेन, दिनांक 30 दिसम्बर 2025

अधि. क्र.1133–जि.श.वि.अभि.–2025.– मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 के साथ सहपठित धारा–6 के अंतर्गत में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी में वर्णित ग्राम पंचायतों के ग्राम को मिलाकर नगर परिषद बरेली में सम्मिलित कर नगर पालिका का उन्नयन करते है, अर्थात् :–

अनुसूची–एक

नगर पालिका परिषद की सीमाओं में सम्मिलित किया गया क्षेत्र

स. क्र.	जिले का नाम	तहसील का नाम	नगर पालिका का नाम	नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
01	रायसेन	बरेली	बरेली	कामतौन	कामतौन	1019.001
02				धौखेडा	धौखेडा	335.549
03				जनकपुर	सुल्तानपुर खेडा	276.299

अनुसूची–दो

अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात, बरेली नगर पालिका की पुनरीक्षित सीमाऐं निम्नानुसार होंगी:–

उत्तर दिशा:– सलैया, मेहरागांव कलां, सुरमापार, जनकपुर ग्रामों की सीमाओं से मर्यादित।

पूर्व दिशा:– नयागांव कला, किनगी, गुरारिया ग्रामों की सीमाओं से मर्यादित।

दक्षिण दिशा:– कोटपार गणेश की ग्राम सीमा से मर्यादित।

पश्चिम दिशा:– पांजरा मंशाराम, गगनवाडा, खपडियाखुर्द, धनाश्री, मेहरागांवखुर्द ग्रामों की सीमाओं से मर्यादित।

अरुण कुमार विश्वकर्मा, कलेक्टर.

Raisen, the 30th December 2025

Noti No.1133–जि.श.वि.अभि.–2025.– **In the exercise of the power conferred by section 5 read with the section 6 of the Madhya Pradesh municipalities act 1961 (No.37 of 1961) hereby places to include the areas of Panchayat mentioned in the below table in notified as municipal council Bareli namely:-**

SHEDULE-I

Area included in the boundaries of municipal council Bareli:-

No	Disti	Tahshil Name	Name of the Municipal Council Bareli	Name of the Gram Panchayat included for the formation of urban area	Included villages	Area (in Hec)
1	2	3	4	5	6	7
01	Raisen	Bareli	Bareli	Kamton	Kamton	1019.001
02				Dhokheda	Dhokheda	335.549
03				Janakpur	Sultanpur Kheda	276.299

SHEDULE -II

After Including the area shown in schedule the revised limits of Bareli municipal council will be as follows:-

North direction:- limited to the limit of the boundaries of villages, salaiya, mehragaon kalan, surmapar, Janakpur.

East direction:- limited to the limit of the boundaries of villages, nayagaon Kalan, kingi, gurariya.

south direction:- limited to the limit of the bondaries of villages, kotparganesh.

West direction:- limited to the limit of the boundaries of villages pajra, mansaram, Gaganwada, Khapariya khurd, dhanashri, Mehragaon khurd.

ARUN KUMAR VISHWAKARMA, Collector.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित–2026.